

संख्या 35034/3/2008-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना(घ)

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

दिनांक : ५ सितंबर, 2010

कार्यालय जापन

विषय :- केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) - संबंधित स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई, 2009 के समसंख्यक कार्यालय जापन का हवाला देने का निदेश हुआ है । इस योजना के शुरु होने के परिणामस्वरूप संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के संबंध में कतिपय मुद्दों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे गए हैं । विभिन्न हलकों द्वारा उठाए गए संदेहों की यथापूर्वक जांच की गई है तथा तदनुसार बिन्दुवार स्पष्टीकरणों को अनुबंध में दर्शा दिया गया है ।

2. का उपर्युक्त स्पष्टीकरणों (अनुबंध) के साथ पठित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई, 2009 के समसंख्यक कार्यालय जापन को ध्यान में रखते हुए एमएसीपीएस को कड़ाई से कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

3. सभी मंत्रालय/विभाग इस कार्यालय जापन की विषयवस्तु को सामान्य मार्गदर्शन तथा मामले में उपयुक्त कार्रवाई हेतु व्यापक रूप से परिचालित करें ।

६०

(स्मिता कुमार)

निदेशक (स्थापना-1)

दूरभाष नं. : 23092479

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि -

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/उच्चतम न्यायालय/राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/सी. एंड ए.जी./केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) नई दिल्ली ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
3. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ।
4. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ।
5. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
6. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को दिनांक 06.09.2010 के यू.ओ. संख्या 16(1)/लीगल/2010 के संदर्भ में ।
7. राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
8. स्थापना(घ) अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - 100 प्रतियां
9. एन.आई.सी. (इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एनआईसी) की वेबसाइट पर डालने हेतु ।

६०

(स्मिता कुमार)

निदेशक (स्थापना-1)

दूरभाष नं. : 23092479

[सन्दर्भ :- दिनांक 9.9.2010 का कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2008-स्था.(घ)]

क्र.सं.	सन्देह का बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	क्या संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने पर वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में वेतन बैंड परिवर्तित होगा ?	जी, हां । संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रोन्नयन सी.सी.एस(आर.पी) नियमावली, 2008 में निर्धारित किए अनुसार संस्तुत संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में एकदम अगले उच्च ग्रेड वेतन में प्रदान किया जाएगा ।
2	क्या संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) का लाभ ऐसे सरकारी सेवकों को प्रदान किया जाएगा जिन्हें बाद में संगठित समूह 'क' सेवा में ले लिया गया है ।	जी, नहीं । एमएसीपीएस के अंतर्गत लाभ संगठित समूह 'क' सेवा के समूह 'क' अधिकारियों के लिए अनुमेय नहीं होते क्योंकि संगठित समूह 'क' सेवा के अंतर्गत अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ दो वर्ष की समानता गैर-कार्यात्मक आधार पर पहले ही प्रदान की गई है ।
3	सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के लाभ यदि 1.1.2006 तथा 31.8.2008 के बीच देय हो तो उन्हें किस प्रकार प्रदान किया जाएगा ?	नई एमएसीपीएस 1.9.2008 से प्रभाव में आई है । तथापि, वेतन संरचना 1.1.2006 से परिवर्तित हो गई है । अतः पिछली एसीपी 1.1.2006 को अपनाई गई नई वेतन संरचना में लागू होगी । एमएसीपीएस के अनुबंध-1 का पैरा 6.1 केवल संशोधित वेतन संरचना में आने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए है न कि एमएसीपीएस के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने हेतु । निम्न उदाहरण इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं - (क) अलग-थलग (isolated) पदों के मामले में - 01.10.1982 के संशोधन पूर्व वेतनमान ₹ 4000-6000 में प्रवेशी ग्रेड में नियुक्ति की तारीख 9.8.1999 को प्रदान की गई प्रथम एसीपी : ₹ 4500-7000 (संशोधन पूर्व) 1.10.2006 को देय द्वितीय एसीपी : ₹ 5000-8000 (संशोधन पूर्व) एमएसीपीएस के अंतर्गत संस्तुत संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अर्थात् ₹ 4600 के ग्रेड वेतन में एकदम अगले उच्च ग्रेड वेतन में तीसरा वित्तीय प्रोन्नयन 1.10.2012 को (30 वर्ष की नियमित निरंतर सेवा पूरी करने पर) देय होगा ।

		<p><u>(ख) सामान्य पदोन्नति पदानुक्रम के मामले में -</u></p> <p>1.10.1982 के संशोधन पूर्व वेतनमान ₹ 5500-9000 में प्रवेशी ग्रेड में नियुक्ति की तारीख</p> <p>9.8.1999 को प्रदान की गई प्रथम एसीपी : ₹ 6500-10500 (संशोधन पूर्व)</p> <p>1.10.2006 को देय द्वितीय एसीपी (मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार) : ₹ 10000-15200 (संशोधन पूर्व)</p> <p>अतः द्वितीय एसीपी ₹ 6600 के ग्रेड वेतन वाले पी.बी-3 में होगी (उपलब्ध पदानुक्रम की शर्तों के अनुसार)</p> <p>एमएसीपीएस के अंतर्गत संस्तुत संशोधित वेतन बैंड तथा ₹ 7600 के ग्रेड वेतन में तीसरा वित्तीय प्रोन्नयन 1.10.2012 को एकदम अगले उच्च ग्रेड वेतन में देय होगा।</p>
4	क्या एमएसीपीएस के लाभ प्रवेशी ग्रेड की तारीख से अथवा विभिन्न सेवा नियमों के अंतर्गत गिनी गई उनकी नियमित/ अनुमोदित सेवा की तारीख से प्रदान किए जाएंगे ?	एमएसीपीएस के अंतर्गत लाभ प्रवेशी ग्रेड में पद का वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उपलब्ध होगा।
5	ऐसे मामले में जिसमें किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर उच्च वेतनमान में किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त किया गया हो तथा उसके बाद संविलियन किया गया हो तो क्या प्रतिनियुक्ति पर बिताई अवधि को निरंतर सेवा के रूप में अथवा एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ गिना जाएगा ?	<p>(i) जब किसी व्यक्ति को समान ग्रेड में अन्य पद से सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है तो पिछले पद पर पूर्व पदोन्नति/एसीपी के साथ-साथ पिछली नियमित सेवा को नए पदानुक्रम में एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ नियमित सेवा की संगठना हेतु गिना जाएगा।</p> <p>(ii) तथापि, जहां किसी व्यक्ति को शुरु में प्रतिनियुक्ति आधार पर उच्च ग्रेड में किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त किया गया हो तथा तत्पश्चात् संविलियन किया गया हो, तो पूर्व पद पर की गई सेवा, जो निम्न वेतनमान में की थी उसे गिना नहीं जा सकता, जबकि संविलियन से पहले संवर्ग बाह्य पद पर शुरुआत में प्रतिनियुक्ति आधार पर बिताई गई उस अवधि की गणना करने में कोई आपत्ति नहीं है जिसकी गणना एमएसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय</p>

		प्रोन्नयन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से नियमित सेवा हेतु की जा रही हो क्योंकि यह उस पद के सदृश वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में होती है ।
6	क्या मूल पद के वेतनमान/ग्रेड वेतन को प्रतिनियुक्ति आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति/चयन के लिए अथवा सरकारी सेवक के द्वारा लिए जा रहे वेतनमान/ ग्रेड वेतन के लिए एसीपी/ एमएसीपीएस योजना के कारण गिना जाएगा ।	प्रतिनियुक्ति आधार पर किसी उच्च पद पर नियुक्ति/चयन के लिए पात्रता का निर्णय करने हेतु मूल पद के वेतनमान/ग्रेड वेतन को ही गिना जाएगा ।
7	कर्मचारी के योग्य नहीं पाए जाने अथवा अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विचाराधीन होने के कारण प्रथम/द्वितीय वितीय प्रोन्नयन को आस्थगित कर दिया जाता है, के मामले में क्या इसका द्वितीय/तृतीय वितीय प्रोन्नयन पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ।	जी, हां । यदि कर्मचारी के योग्य नहीं पाए जाने अथवा विभागीय कार्रवाई आदि हेतु विचाराधीन होने के कारण वितीय प्रोन्नयन स्थगित/आस्थगित कर दिया गया हो तो एमएसीपीएस के अंतर्गत द्वितीय/तृतीय वितीय प्रोन्नयन पर परिणामी प्रभाव होगा (एमएसीपीएस के अनुबंध-1 का पैरा 18)
8	ऐसे मामले में जिसमें सरकारी सेवक ने तीन पदोन्नतियां पहले ही अर्जित कर ली है तथा फिर भी 10 वर्षों से अधिक समय से अभी भी एक ही ग्रेड में प्रगतिरोधित है तो क्या उसे एमएसीपीएस के अंतर्गत किसी अगले प्रोन्नयन की हकदारी होगी ?	जी, नहीं । क्योंकि सरकारी सेवक ने पहले ही तीन पदोन्नति अर्जित कर ली हैं, एमएसीपीएस के अंतर्गत उसे अगले वितीय प्रोन्नयन की हकदारी नहीं होगी ।
9	क्या समूह 'घ' गैर मैट्रिकुलेट कर्मचारियों के संबंध में ₹ 2750-4400 के संशोधन पूर्व वेतनमान को ₹ 2550-3200, ₹ 2610-3540, ₹ 2610-4000 तथा ₹ 2650-4000 के संशोधन पूर्व वेतनमान, जो प्रोन्नत तथा वेतन बैंड पी.बी-1 में ₹ 1800	जी, हां ।

	के ग्रेड वेतन के संशोधित वेतन ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं, के मद्देनजर एमएसीपीएस के उद्देश्यार्थ ₹ 1800 के ग्रेड वेतन में यथासंविलयित माना जाएगा ।	
10	प्रतिनियुक्ति पर यदि कोई सरकारी कर्मचारी प्रोन्नयन अर्जित करता है, तो क्या वह एमएसीपीएस के अंतर्गत वेतन तथा परिलब्धियों पर प्रतिनियुक्ति (कर्तव्य) भत्ते का हकदार होगा अथवा नहीं ।	जी, नहीं । जबकि संवर्ग बाह्य पद के भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी की संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति नियमित आधार पर मूल संवर्ग में धारित पद के पद/वेतनमान के संवर्ग में निर्धारित किया जाना जारी रहेगा (न कि एसीपी/एमए सीपीएस के अंतर्गत प्रदान किए गए उच्च वेतनमान के संदर्भ में), उसके चयन की स्थिति में ऐसे अधिकारी को प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति भत्ते के बिना एसीपी/एमएसीपीएस के अंतर्गत उच्च वेतनमान में वेतन आहरित करने के विकल्प की अनुमति दी जा सकती है, यदि यह प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति को विनियमित करने वाले मौजूदा सामान्य आदेशों के अंतर्गत सामान्य हकदारी से अधिक हो ।
11	चूंकि समूह 'घ' कर्मचारियों का वेतनमान संविलयित कर दिया है तथा ₹ 1800 के ग्रेड वेतन में रख दिया गया है, क्या उन्हें प्रत्येक स्तर पर वेतन नियतन के दौरान 3% की दर से वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने की हकदारी है ।	जी, हां । एमएसीपीएस के अनुबंध-1 के बिन्दु 22 की सहस्यता के आधार पर ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों जिन्हें 1.1.2006 से ₹ 1800 के ग्रेड वेतन में रखा गया है, का वेतन प्रत्येक स्तर पर 3% के वेतन नियतन का लाभ की अनुमति प्रदान करते हुए संशोधित वेतन बैंडों तथा ग्रेड वेतनों के पदानुक्रम में एक के बाद एक तीन एकदम उच्च ग्रेड वेतनमानों में नियत किया जाएगा ।